अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2020 (RCMS 2020/00043) जय प्रकाश हरवानी निवासी जे–157 पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाई पास रोड़, जोधपुर–342013 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित हुआ था। आज अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने सूचना का अ**धिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर के** समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 09 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे वांछित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर ने अपने पत्रांक 03(80)उप/2018 दिनांक 03.05.2019 या दिनांक 08.05.2019 को रजिस्टर्ड/ईमेल द्वारा मींटिंग नोटिस भेजा गया था इस मिटिंग में उपस्थित नही होने के तथ्यों की मय प्रमाण सूचना दें।
2 उक्त पत्र प्राप्त होने की मय प्रमाण सूचना दें।
3. उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस मिटिंग में किसने भेजा था मय प्रमाण सूचना दें।
4. आपके द्वारा आपके प्रतिनिधि के तौर पर यदि भेजा है तो उस पत्र की प्रतिलिपि मय प्रमाण दें तथा कारण भी बतायें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. मा0 लालचन्द वरिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर को उक्त मीटिंग में भेजने संबधी पत्र की मय प्रमाण सूचना दें।
6. वरिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर को उक्त मीटिंग में भेजने के कारणों की सूचना मय तथ्य उपलब्ध कराएं।
7. उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.05.2019 को मीटिंग में बताया था कि ठाकी बाई को जारी सनद संख्या 6687 में 67–15 बीघा आवंटित में से 48–10 बीघा प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज 48–10 बीघा रकबा की जमाबन्दी की प्रति मय प्रमाण दें।
8. 48–10 बीघा में से 41–10 बीघा रकबा प्रार्थीया द्वारा विक्रय किया जा चुका है, इस संदर्भ में विक्रय की दिनांक व जमाबन्दी में उस व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज हाने की सूचना मय प्रमाण दें (जमाबन्दी की प्रति मय प्रमाण दें)
9. शेष 7 बीघा रकबा कब्जा काश्त में बताया था। अतः जमाबन्दी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवाते हुए उसका कब्जा दिया जाए। (किस स्थान, तहसील व खसरा नं. आदि की सूचना दें)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास पदाधिकारी), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पुर्नवास/2019/58 दिनांक 19.02.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी, जे–157, पार्श्वनाथ सिटी, सांगरिया पाल बाईपास रोड, जोधपुर द्वारा नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है कि जो उनके कार्यालय

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में दिनांक 16.12.2019 को प्राप्त हुआ। नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध इस कार्यालय से होने के कारण उनके द्वारा पत्र क्रमांक 1166 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा इस कार्यालय को हस्तान्तरित किया गया जो कि इस कार्यालय में 19.12.2019 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर हुआ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4753 दिनांक 28.12.2019 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गई थी। इस कार्यालय स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
(पुनर्वास पदाधिकारी), श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास पदाधिकारी), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पुनर्वास/2019/4753 दिनांक 28.12.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है:**

क्र. सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर ने अपने पत्रांक 03(80)उप/2018 दिनांक 03.05.2019 या दिनांक 08.05.2019 को रजिस्टर्ड/ ईमेल द्वारा मींटिंग नोटिस भेजा गया था इस मिटिंग में उपस्थित नही होने के तथ्यों की मय प्रमाण सूचना दें।	उक्त बैठक में पीठासीन अधिकारी (प्रभारी अधिकारी पुर्नवास कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर) स्वयं दिनांक 13.05.2019 को उपस्थित हुए थे।
2	उक्त पत्र प्राप्त होने की मय प्रमाण सूचना दें।	उक्त पत्र की प्रति सलंग्न है।
3.	उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस मिटिंग	आदेश की प्रति सलंग्न है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

			में किसने भेजा था मय प्रमाण सूचना दें।		
		4.	आपके द्वारा आपके प्रतिनिधि के तौर पर यदि भेजा है तो उस पत्र की प्रतिलिपि मय प्रमाण दें तथा कारण भी बतायें।	आदेश की प्रति सलंग्न है।	
		5.	मा0 लालचन्द वरिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर को उक्त मीटिंग में भेजने संबधी पत्र की मय प्रमाण सूचना दें।	पीठासीन अधिकारी मीटिंग में अपने साथ श्री लालचन्द वरिष्ठ सहायक (शाखा प्रभारी) को लेकर गये थे।	
		6.	वरिष्ठ सहायक, श्रीगंगानगर को उक्त मीटिंग में भेजने के कारणों की सूचना मय तथ्य उपलब्ध कराएं।	प्रश्नात्मक है। जिसमें सूचना का सृजन अपेक्षित है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल उपलब्ध सूचना देने का प्रावधान है।	
		7.	उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.05.2019 को मीटिंग में बताया था कि ठाकी बाई को जारी सनद संख्या 6687 में 67—15 बीघा आवंटित में से 48—10 बीघा प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज 48—10 बीघा रकबा की जमाबन्दी की प्रति मय प्रमाण दें।	**जमाबन्दी की प्रति नियमानुसार पूर्ण विवरण अंकित कर सक्षम कार्यालय में फीस जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।**	
		8.	48—10 बीघा में से 41—10 बीघा रकबा प्रार्थीया द्वारा विक्रय किया जा चुका है, इस संदर्भ में विक्रय की दिनांक व जमाबन्दी में उस व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज हाने की सूचना मय प्रमाण दें (जमाबन्दी की प्रति मय प्रमाण दें)	**जमाबन्दी की प्रति नियमानुसार पूर्ण विवरण अंकित कर सक्षम कार्यालय में फीस जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं।**	
		9.	शेष 7 बीघा रकबा कब्जा काश्त में बताया था। अतः जमाबन्दी के आधार पर	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल उपलब्ध सूचना देने का प्रावधान है।	

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

		भौतिक सत्यापन करवाते हुए उसका कब्जा दिया जाए। (किस स्थान, तहसील व खसरा नं. आदि की सूचना दें)	जिसमें सूचना का सृजन अपेक्षित हे। कब्जा या अन्य अनुतोष जरिये विधिक प्रक्रिया प्राप्त किया जा सकता है। शेष वांछित सूचना प्रश्नात्मक है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2019 को उक्तानुसार बिन्दुवार दिया जा चुका है। बिन्दु संख्या 07 व 08 की सूचना वह --- सक्षम कार्यालय में फीस जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गुंजाईश नहीं है। इसलिए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर